Topic 1:– लोकपाल के अध्यक्ष तथा तीन सदस्यों की नियुक्ती

Topic 2 :– राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 19वां स्थापना दिवस

Topic 3 :– जैसलमेर में 'भारत शक्ति' युद्धाभ्यास में तेजस फाइटर जेट क्रैश

Topic 4 :– महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'ड्रोन दीदी' योजना

Topic 1:– लोकपाल के अध्यक्ष तथा तीन सदस्यों की नियुक्ती

चर्चा में क्यों :– भारत के लोकपाल के तीन सदस्यों ने शपथ ली, भारत के लोकपाल कार्यालय में अब अध्यक्ष सहित नौ सदस्यों की पूर्णक्षमता उपलब्ध

भारत के लोकपाल के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अजय माणिकराव खानविलकर ने नई दिल्ली स्थित भारत के लोकपाल परिसर में आयोजित एक समारोह में निम्नलिखित लोगों को न्यायिक सदस्य और भारत के लोकपाल के सदस्य के रूप में पद की शपथ दिलाई।

लोकपाल और लोकायुक्त :–

क्या है :–

लोकपाल और लोकायुक्त की व्यवस्था :–
लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 द्वारा

केंद्र के लिये लोकपाल की नियुक्ती की जाती है तो बही राज्यों के लिये लोकायुक्त की।

संस्था का प्रकार :– बिना संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय ।

कार्य :– Ombudsman का कार्य, तथा कुछ पूर्व निर्धारित श्रेणी के शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करना ।

लोकपाल और लोकायुक्त की अवश्यकता क्यों :–

1.खराब प्रशासन जंग की तरह होता है जो धीरे-धीरे किसी राष्ट्र को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है
प्रशासन में भ्रष्टाचार इस समस्या की जड़ है।

2. अभी तक जो भी संस्थाएँ भ्रष्टाचार निरोधी कार्य करती थी वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थी । जिस कारण प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने में समस्या आ रही थी

इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक वक्तव्य में CBI को 'पिंजरे का तोता' और 'अपने मालिक की आवाज़' घोषित किया था।

3.कई एजेंसियाँ जो शासन संचालन पर नियंत्रण रखती थी वो नाममात्र की शक्तियों वाली केवल परामर्शी निकाय थी

भारत में कब से लागू :–
:– राष्ट्रपति ने सम्मति :– 1 जनवरी, 2014 को

लागू :– 16 जनवरी, 2014 को ।
लोकपाल एवं लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016 :–

जुलाई 2016 में पारित ।

मुख्य प्रावधान :–

1.अगर लोकसभा मे विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता का अभाव है तो सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा।

2.पहले किसी भी लोक सेवक को सरकारी सेवा में चयन होने के 30 दिनों के भीतर अपनी सम्पत्तियों और दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करना होता था (अधिनियम की धारा 44 के तहत)।

इसमें संशोधन करके 30 दिन की समय-सीमा को समाप्त कर दिया गया अब लोकसेवक को अपनी सम्पत्तियों और दायित्वों की घोषणा सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में करना होगा।

लोकपाल की संरचना :–

यह बहु-सदस्यीय निकाय है
गठन :– एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों से ।

चेयरपर्सन :– भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या असंदिग्ध सत्यनिष्ठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए।

चेयरपर्सन या अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग, कानून व प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव हो।

आठ अधिकतम सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य तथा न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिये।

लोकपाल संस्था का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिये।

गैर-न्यायिक सदस्य असंदिग्ध सत्यनिष्ठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति, जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग, कानून व प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव हो।

चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल :– 5 वर्ष या 70 वर्ष।
नियुक्ति :– चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा।

चयन समिति प्रधानमंत्री जो कि चेयरपर्सन होता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद से मिलकर गठित होती है।

न्यायिक सदस्य

श्री न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी
श्री न्यायमूर्ति संजय यादव

सदस्य

श्री सुशील चन्द्र
श्री न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में योगदान देने से पहले, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं।

श्री न्यायमूर्ति संजय यादव, भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में योगदान देने से पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं।

श्री सुशील चंद्रा 1980 बैच के आईआरएस (आईटी) अधिकारी हैं। भारत के लोकपाल के सदस्य के रूप में योगदान देने से पहले, वह भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे और पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।

लोकपाल के सभी 9 सदस्य:–
श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, अध्यक्ष;
श्री न्यायमूर्ति संजय यादव, न्यायिक सदस्य;
श्री महेंद्र सिंह, सदस्य;
श्री डी.के. जैन, सदस्य;
श्री न्यायमूर्ति पी.के. मोहंती, न्यायिक सदस्य;
श्रीमती न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी, न्यायिक सदस्य; श्रीमती अर्चना रामसुंदरम, सदस्य;
श्री न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायिक सदस्य;
श्री सुशील चंद्रा, सदस्य

Topic 2 :– राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 19वां स्थापना दिवस

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने नई दिल्ली में इंडियन हैबिटेट सेंटर के जैकरांडा हॉल में आज (12 मार्च, 2024) अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया।

आयोग ने इस अवसर को चिह्नित करने के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों से बच्चों को आयोग के परीक्षा पर्व अभियान में उनके प्रयासों और भागीदारी को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया।

सभी राज्यों के बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) के अध्यक्षों और सदस्यों को भी इसमें आमंत्रित किया गया था।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष और सदस्य :–

अध्यक्ष :– श्री प्रियांक कानूनगो ।

सदस्य :– श्रीमती प्रीति भारद्वाज दलाल, डॉ. दिव्या गुप्ता ।

सदस्य व सचिव :– श्रीमती रूपाली बनर्जी सिंह ।

आयोग द्वारा की गई पहल:–

श्री कानूनगो ने अनुसार :– बच्चों से संबंधित समस्याओं को बेहतर तरीके से समाधान करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पूरे देश में और दूरदराज के क्षेत्रों में 172 पीठ और शिविर आयोजित किए गए हैं।

बाल देखभाल संस्थानों के सामाजिक ऑडिट के माध्यम से लगभग 1,45,000 बच्चों को वापस लाया गया है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) :–

गठन :– मार्च 2007 में

प्रकार :– वैधानिक निकाय {(Commissions for Protection of Child Rights- CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत }

किस मंत्रालय के अंतर्गत :– महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में ।

आयोग के निर्माण का उद्देश्य :– यह सुनिश्चित करना कि सभी कानून, नीतियों, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र के तहत भारत के संविधान में निहित बाल अधिकार के प्रावधानों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बाल अधिकारों के अनुरूप बाल विकास को प्रोत्साहन दिया जाए।

आयोग के अन्य कार्य :–

बच्चे के लिये मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जाँच करना
(शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(Right to Education Act, 2009) के तहत) ।

लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 [Protection of Children from Sexual Offences(POCSO) Act, 2012] के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

Topic 3 :– जैसलमेर में 'भारत शक्ति' युद्धाभ्यास में तेजस फाइटर जेट क्रैश

चर्चा में क्यों :– 'भारत शक्ति युद्धाभ्यास' में शामिल तेजस फाइटर जेट मंगलवार को क्रैश हो गया।

'भारत शक्ति' युद्धाभ्यास का आयोजन कहां :– राजस्थान के पोकरण में

कहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ :– युद्धाभ्यास स्थल से करीब 100 किमी दूर यह हादसा हुआ

जैसलमेर शहर से 2 किमी दूर जवाहर नगर स्थित भील समाज के हॉस्टल पर गिरा।

विशेष :– तेजस के क्रैश होने की यह पहली घटना है।

कार्यक्रम में मौजूद :– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ ही सेना के बड़े अधिकारी ।

दुर्घटना का कारण :– इंजन फेल होने की वजह से यह फाइटर जेट क्रैश ।

विशेष :– 1. तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास

2.जैसलमेर जिले के पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है

युद्धाभ्यास में सर्विलेंस सैटेलाइट, सर्विलेंस ड्रोन, सर्वे ड्रोन का प्रयोग जिससे दुश्मन की पिन पॉइंट लोकेशन की जानकारी सेना को मिलती है ।

पिनाका मिसाइल (लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम) का उपयोग ।

इसकी रेंज :– 40 km और 120 km मार्क 1 के एडवांस वर्जन द्वारा

पिनाका :– भगवान शिव के धनुष का नाम , जिसे उन्होंने ऋषि परशुराम को दिया, स्वम्बर में इसको ही तोड़ा गया ।

तेजस :–

निर्माण प्रक्रिया :– भारत ने अपने हलके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) बनाने के लिए भारत सरकार ने 1984 में एक प्रोग्राम शुरू किया ।

इस LCA कार्यक्रम का प्रबंधन और कार्यान्वयन करने के लिए वैमानिकी विकास एजेंसी (Aeronautical Development Agency-ADA) की स्थापना की।

तेजस की अवश्यकता क्यों :– मिग 21 लड़ाकू विमानों का स्थान लेने के लिए।

डिज़ाइन:–
'रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग' के तहत संचालित 'वैमानिकी विकास एजेंसी' और डीआरडीओ द्वारा ।

विनिर्माण:–

कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा।

विशेषताएँ :–

1.सबसे हल्का, सबसे छोटा और मल्टी-रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान ।

2. हवा-से-हवा, हवा से सतह, हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया।

3. आकाश में ईंधन भरने में सक्षम ।

4. अधिकतम पेलोड क्षमता 4000 किलो ।

5. अधिकतम 1.8 मैक की ।

6. विमान की रेंज :– 3,000 किमी तक ।

तेजस के अन्य प्रकार:

तेजस ट्रेनर: 2-सीटर परिचालन ट्रेनर विमान.
उपयोग :– वायु सेना के पायलटों के प्रशिक्षण के लिये ।

LCA नेवी: नौसेना के लिये।

LCA तेजस Mk-1A: हाई थ्रस्ट इंजन के साथ अद्यतन रूप ।

LCA तेजस नेवी MK2: नेवी वैरिएंट का दूसरा संस्करण ।

Topic 4 :– महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'ड्रोन दीदी' योजना

चर्चा में क्यों :– हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं को सशक्त करने और उन्हें आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए एक नई योजना को प्रारंभ किया गया

नमो ड्रोन दीदी योजना :–

योजना के उद्देश्य :– कृषि के क्षेत्र में महिलाएं भी अपना बेहतर योगदान प्रदान कर सके और ड्रोन के जरिए खेती को आसान बनाने के लिए

योजना के तहत विशेष रूप से ग्रामीण भारत की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना बनाई गई है।

अब महिलाएं भी पुरुषों के साथ कृषि में आधुनिकता के साथ सहयोग कर सकेंगी।

लाभ :– महिलाएं कमाई भी कर सकेंगी जिससे आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी ।

केंद्र की ओर से इसकी फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी और हर महीने सैलरी भी मिलेगी।

नमो ड्रोन दीदी स्कीम की शुरुआत कब हुई :–

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर, 2023 को शुरुआत।

इस योजना के तहत सरकार द्वारा 1,261 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

इस धन से ही 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन मुहैया कराए जाने की योजना है।

योजना को :– देशभर के स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के जरिये लागू किया जाएगा।

भारत में लगभग 10 करोड़ महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है।

नमो ड्रोन स्कीम से लाभ :–

पहली प्राथमिकता :– महिलाओं को सशक्त बनाना ।
महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगी।
कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और दक्षता में बढ़ोतरी होगी ।

रोजगार के मौके बढ़ेंगे।

कृषि में लगने वाली लागत में कमी ला सकती है।

कृषि के इस्तेमाल में ड्रोन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकेगा

ड्रोन के लिए आर्थिक मदद :–

सरकार स्वयं सहायता समूहों (महिला) को ड्रोन खरीदने पर उसकी लागत का 80 प्रतिशत या 8 लाख (अधिकतम) रुपये देगी ।

शेष राशि कृषि इन्फ्रा वित्तपोषण सुविधा के तहत लोन के रूप में , इस पर 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी ।

महिला ड्रोन पायलट :– 10 से 15 गांव का एक क्लस्टर होगा इस क्लस्टरइब एक महिला को 'ड्रोन सखी' के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

ड्रोन सखी को 15 दिन की ट्रेनिंग और साथ ही प्रति महीने 15,000 रुपए का वेतन प्राप्त होगा।